रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223118
CG-DL-E-18112020-223118

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942
No. 580] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय

(राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

सा. का. नि. 710(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग का, (समूह ग्रुप 'क' और समूह 'ख') भर्ती नियम, 2009, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इसके द्वारा आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड में समूह 'ख' के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नानुसार नियम बनाते हैं, अर्थात –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: {i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुर्वेद, योग एवं और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय में विपणन सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वेतन मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर : पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है /या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी (जीवनसाथी) के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य कोई आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि जहां ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत श्रेणियों में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृतियाँ – इन नियमों की कोई बात,ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
विपणन सहायक	01 (2020)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (35,400 रूपए - 1,12,400/- रूपए) में	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाच वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी) टिप्पण 1 : आयु सीमा के अवधारित निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई तारीख होगी और यह असम,मेघालय,अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,त्रिपुरा, सिक्किम,संघ राज्य क्षेत्र लदाख,हिमाचल प्रदेश के

					लाहौल और स्पीति जिले, चंबा जिले का पांगी संभाग, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लक्ष द्वीप अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	**क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अहर्ताएं प्रोन्नतियों के मामले में लागू होंगी?**	**परिवीक्षा अवधि , यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशतता**
7	8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /सस्थान से स्नातक डिग्री **वांछनीय** : वित्त अथवा विपणन और विक्रय व्यवसाय प्रबंधन निष्णात अनुभव : केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्था अथवा पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी सगठन का वित्त अथवा विपणन और विक्रय के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1** – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं , कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2** - अनुभव संबंधी अहर्त अनुभव (अर्हताएं) उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं	दो वर्ष	अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति के द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति /आमेलन द्वारा भर्ती किए जाने की दशा में ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना है।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
11	12	13
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थाओं अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों /अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी सगठनों के अधीन अधिकारी (क) (i) वर्त्तमान संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पदधारित अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स-5 (29,200 - 92,300/- रूपए) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में की गई छह् वर्षों की सेवा की हो ; और (ख) : स्तंभ 7 में निर्धारित शैक्षणिक अहर्ताएं एवं अनुभव रखते हों नोट : इसी संगठन व किसी अन्य संगठन अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनिुयुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ख' के पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु विभागीय पुष्टीकरण समिति चयन समिति : (1) संयुक्त सचिव आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय - अध्यक्ष; (2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पादक बोर्ड - सदस्य; और (3) निदेशक (तकनीक)- सह- मुख्य कार्य पालक अधिकारी अथवा उप निदेशक (औषधीय पादप) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फ़ा. सं. ए-11012/22/2009-एनएमपीबी (पार्ट फ़ाइल)]

पी एन रंजीत कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMEOPATHY

(NATIONAL MEDICINAL PLANTS BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020.

G.S.R.710(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Medicinal Plants Board, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Hoeopathy (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the National Medicinal Plants Board under the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homopathy, namely:-

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the National Medicinal Plants Board, Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homopathy, Marketing Assistant (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix- The number of posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in coloumns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Scheduled.

4. Disqualification – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living had entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other qualifications required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-Limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Marketing Assistant	01(2020)* *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B', 'Non-gazetted, Non-ministerial	Level- 6, (Rs.35, 400 – 1, 12,400/-) in the pay matrix..	Not applicable.	Not Exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahul and Spiti Districts and Pangi

					Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor degree from recognized University or Institute **Desirable:** Master of Business Administration in Finance or Marketing and Sales Experience: Two years' experience in Finance or Marketing or Sales from any the Central Government, or State Government or Union territories or Universities or Research Institute or Public Sector Undertakings/Semi Government or Autonomous or Statutory Organizations **Note 1:** Qualifications are relax able at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not Applicable.	Two years.	By Deputation including short-term contract failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutes or Public Sector	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation (consisting of):** 1. Joint Secretary, Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopath, Unani, Sidha and Homeopathy - Chairman	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Undertakings or Autonomous Statutory Organizations: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or (ii) with Six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level – 5 (Rs. 29,200 – 92,300/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed under column (7). **Note:-** Period of deputation (including short-term contracts) including period of deputation (including short-term contracts) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contracts) shall be notexceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	2. Chief Executive Officer, National Medicinal Plants Board – Member 3. Director (Technical)-cum-Deputy Chief Executive Officer or Deputy Director (Medicinal Plants) – Member	

[F.No.A- 11012/22/2009-NMPB (Pt file)]

P. N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM